

प्रेषिका

शिखा प्रधान
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं०-6 (रेप एण्ड पोक्सो एक्ट)
कासगंज

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
कासगंज

विषय : मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं०-9691/IV-F-82 (Pension)/Admin.(A) Dated July 16, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प चयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

1. कृपया, मा० उच्च न्यायालय, द्वारा निर्गत उपरोक्त वर्णित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो कि उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 28 जून, 2024 व सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना के विकल्प हेतु आच्छादित होने वाले न्यायिक अधिकारीगण के सन्दर्भ में निर्गत किया गया है।
2. महोदय, उक्त के संबंध में सादर निवेदन है कि आवेदिका की नियुक्ति उ०प्र० न्यायिक सेवा में उ०प्र० शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4 सं०-2430/दो-4-06-32(1)/2001 टी सी-1 लखनऊ) से हुई थी।
3. महोदय, आवेदिका ने मा० उच्च न्यायालय की अधिसूचना सं०-1112/DR(S)2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 15.06.2006 को जनपद हरदोई में अपर सिविल जज (जू०-डि०) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।
4. महोदय, आवेदिका की उ०प्र० न्यायिक सेवा में नियुक्ति, विज्ञापन दिनांक 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं०-ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुई थी, जिसे कि लोक सेवा आयोग, उ०प्र० ने उ०प्र० न्यायिक सेवा, सिविल जज (जू०डि०), 2003 की परीक्षा हेतु निर्गत किया था। चूँकि आवेदिका की नियुक्ति का विज्ञापन दिनांक 28.03.2005 से पूर्व निकला था, अतः आवेदिका शासनादेश सं०- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने की पात्र है।
5. महोदय, आवेदिका उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में विहित विकल्प पत्र पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने हेतु इस पत्र के साथ प्रेषित कर रही है।
6. अतः श्रीमान जी के माध्यम से मा० न्यायालय से निवेदन है कि आवेदिका को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाने की महती कृपा करें।

सादर।

भवदीया

दिनांक-26.07.2024

No. 1831/IV Civil, Dated 26/07/24
Forwarded

District Judge, Kasganj
26-07-2024

Shikha Pradhan
26/07/2024

शिखा प्रधान
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं०-6 (रेप एण्ड पोक्सो एक्ट)
कासगंज

JO Code No. UP6333

शासनादेश सं०-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301 (1)/2024

दिनांक 11 जुलाई, 2024

विकल्प पत्र

- 1- नाम- शिखा प्रधान
- 2-वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-6 (रेप एण्ड पोक्सो एक्ट), कासगंज।
- 3- वेतनमान- 1,78,150/-रुपये
- 4- वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग
- 5- राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम- न्याय विभाग
- 6- विज्ञप्ति की तिथि- ए-2/ई-1/2003, रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर, 2003
- 7- विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि- 26.05.2006
- 8- योगदान की तिथि- 15.06.2006
- 9- जन्मतिथि- 14.08.1970
- 10- सेवानिवृत्ति की तिथि- 31.08.2030

मैं शिखा प्रधान पुत्री श्री सर्वेश कुमार प्रधान शासनादेश सं०- 14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024, दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाये।

हस्ताक्षर.....*Shikha Pradhan* 26/07/2024

नाम- शिखा प्रधान

2-वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०-6 (रेप एण्ड पोक्सो एक्ट), कासगंज
JO Code No. UP 6333

घोषणा पत्र

मैं शिखा प्रधान पुत्री श्री सर्वेश कुमार प्रधान, पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-6 (रेप एण्ड पोक्सो एक्ट), कासगंज यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम सं०-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....*Shikha Pradhan* 26/07/2024

नाम- शिखा प्रधान

2-वर्तमान पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं०-6 (रेप एण्ड पोक्सो एक्ट), कासगंज
JO Code No. UP 6333

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

सुश्री शिखा प्रधान पुत्री श्री सर्वेश कुमार प्रधान, पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-6 (रेप एण्ड पोक्सो एक्ट), कासगंज को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

District Judge
Kasganj
26-7-24